THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) National Seeds Corporation organises production of seeds through contract growers.

(b) The agreement with the farmers contains a clause to settle the disputes between the farmers and the Corporation by appointing an arbitrator.

(c) As per the arbitration clause, the arbitrator is to be appointed by the Corporation.

(d) and (e) The system of arbitration has not been used.

Increasing The Productivity of Coconut Plantations In Gujarat

1436. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have studied the possibility of increasing the productivity of coconut plantations in the coastal area of Gujarat;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps proposed to be taken by the Research Centres for increasing productivity of coconut plantations in the coastal area of Saurashtra-Kutuch Region in Gujarat;

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Research on increasing the productivity of coconut has been carried out under the All India Coordinated Coconut and Arecanut improvement of Mahuva in Bhavnagar district of Coastal Gujarat during V and VI plan period. Gujarat Agricultural University is now conducting researches on coconut and is engaged in production of hybrid coconuts involving local Tall and Gudanjali Dward which have high yield potential. Further, Coconut Development Board, has been implementing a project for increasing area under Coconut in Gujarat State during the Eighth Five Year Plan.

रैगिंग को रोकने की आवश्यकता

1437. **श्री सोमपाल: क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जुलाई, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में राष्ट्रीय फैशन टैकनालाजी संस्थान में रैगिंग के कारण एक छात्रा को हुए मानसिक उत्पीड़न के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना में शामिल विद्यार्थियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग पर प्रतिबंध लगाएगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों से विचार-विमर्श करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले के तथ्यों की जांच करने तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो जिम्मेदारी का उल्लेख करने और भविष्य में भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में छात्रों की रैगिंग न की जाए इसका भी सुनिश्चय करने के लिए सरकार ने एक दो सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की थी। समिति के निष्कर्ष के अनुसार रैगिंग की कथित घटना की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) से (च) सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के प्रधानाचार्यों तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों का ध्यान रैगिंग की घटनाओं की तरफ आकृष्ट किया है तथा रैगिंग को बंद करने तथा नए छात्रों को एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है जिसमें वे निश्चिन्त और अभिनन्दनीय महसूस कर सकें। चूंकि रैगिंग की प्रथा निंदनीय है इसलिए

विश्वविद्यालय और कालेजों के प्राधिकारियों तथा स्वयं छात्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रैगिंग न हो।

राज्यों की राजधानियों से और अधिक रेलगाड़ियां चलाया जाना

1438. **श्री चिमन भाई हरिभाई शुक्ल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान राज्यों की राजधानियों से चलाए जाने का विचार था;

(ख) उपर्युक्त प्रस्तावों को समय पर कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन राज्यों ने और अधिक नई रेलगाड़ियां चलाए जाने का अनुरोध किया है;

(घ) इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) राज्यों की राजधानियों से यात्री गाड़ियां चलाने सहित यात्री गाड़ियां चलाना एक सतत प्रक्रिया है जो यातायात के औचित्य, परिचालनिक व्यावहारिकता तथा संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(ग) से (ङ) लगभग सभी राज्यों से समय-समय पर आवेदन प्राप्त होते हैं। इनकी जांच की जाती है तथा व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण पाये जाने पर कार्रवाई की जाती है।

Railway hospitals in the Country

1439. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) The total number of existing Railway hospitals in the country location-wise and total number of staff strength working therein;

(b) which are the major railway hospitals in maharashtra having indoor patient facilities and latest medical equipments and labs for treatment of cancer, AIDS and other dreaded diseases with their details;

(c) whether government propose to increase their number in the State; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) There are 122 Railway Hospitals in the country. 31,645 staff are working in these Hospitals. Locations of these hospitals have been reflected in the attached statement. (*see* below).

(b) Railway Hospitals at Mumbai Central, Byculla, Kalyan, Bhusawal, Nagpur and Sholapur.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Statement

Railway Hospitals available in the Country—Rly-Wise.

Sl. No.	Central Rly
1.	Byculla
2.	Kalyan
3.	Bhusawal
4.	Jhansi
5.	Jabalpur
6.	Nagpur
7.	Solapur
8.	Igatpuri
9.	Manmad
10.	Kurduwadi
11.	New Katni
12.	Dound
13.	Bina
14.	Itarsi
15.	Bhopal
16.	Pune
	Eastern Rly.
17.	Sealdah
18.	Howrah
19.	Asansol